FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

1. **District**: STATE VIG. BUREAU PS: SVB Hisar **Year**: 2013 **FIR No**: 49 **Date**: 17.10.13

2. **Act(s)**: **Section(s)**
(i) IPC 1860 420,468,467,471,120B

(ii) PREVENTION OF CORRUPTION ACT 1988 13(D)
(iii)
(iv)

3. **Occurrence of Offence:**
(a) **Day**: Tuesday **Date From**: 17.10.13 **Date To:** : 17.10.13
Time Period: **Time From:** **Time To**: 14.00
(b) **Information received at P.S: Date:** : 17.10.13 **Time** 14.00
(c) **General Diary Reference: Entry No.:** 9 **Time:**

4. **Type of Information: WRITTEN**

5. **Place of Occurrence:**
(a) Direction and Distance from P.S.: East 75 KM **Beat No**.: 5
(b) Address: Distt. Jind
(c) In case, Outside the limit of the Police Station:
Name of P.S: **District:**

6. **Complainant/Informant**:
(a) **Name:** . Mahabir Singh Insp. SVB unit Jind

(b) **Birth year:** **Nationality:** INDIAN

(c) **Passport No.** **Date of issue:** **Place of Issue:**

(d) **Occupation:**

(e) **Address:** SVB HSR

(f) **Details of known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary):**

7. Ramniwas Manager ETC.

8. Reason for delay in reporting by the complainant/informant:

9. Particulars of the properties stolen/involved(attach separate sheet if necessary):

SI.No.	**Property Type (Description)**	**Est. Value (Rs.)**	**Status**
(i)			
(ii)			
(iii)			

10. Total value of property stolen:

11. Inquest Report/U.D Case No., if any

12. **F.I.R Contents (attach separate sheet, if required):**

श्रीमान जी, निवेदन है कि जांच क्रमांक 3 दिनांक 16.11.2011 जीन्द विरुद्व राम निवास प्रबन्धक पैक्स रधाना जिला जीन्द मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के कार्यालय के यदि क्रमांक 65/24/2011-5 चौ०(1) दिनांक 9.11.2011 के अनुसार महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो पचंकुला के पत्र क्रमांक 18229/1-3/रा.चौ.ब्यूरो (ह) पंचकुला दिनाकं 17.11.2011 के अनुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर जांच हेतू इस कार्यालय मे प्राप्त हुई थी जिसमे सोर्स रिपोर्ट के आधार पर निम्न अरोपो की जांच की जानी थी जिसमे आरोप था कि साल 2008-09 मे भारत सरकार द्वारा ऋण माफी योजना के तहत किसानो के कर्ज माफ हुए थे । जिसमे बैकं के कर्मचारियो / अधिकारियो ने किसानो से मिलकर जिनकी जमीन पांच एकड से ज्यादा थी को कम दिखाकर माफी योजना का ळाभ पहुचाया तथा कर्ज वापिस लेते समय कम ब्याज वा हिस्सा की राशि कम ली गई । उपरोक्त आरोपो की जांच एस.पी. साहब राज्य चौकसी ब्यूरो हिसार मण्डल हिसार के आदेश अनुसार निरीक्षक रघुबीर सिहं राज्य चौकसी ब्यूरो हिसार ,निरीक्षक ज्ञान सिहं राज्य चौकसी ब्यूरो हिसार व निरीक्षक महाबीर सिहं राज्य चौकसी ब्यूरो उपकेन्द्र भिवानी द्वारा करवाई गई थी । पडताल के दौरान पाया गया कि भारत सरकार की कर्ज माफी योजना वर्ष 2008-09 जो 31 मार्च 1997 से 31 मार्च 2007 तक जिन किसानो ने उपरोक्त बैंक से कर्जा लिया हुआ था और डिफाल्टर सुचि मे आते थे उन का कर्जा युनियन बजट 2008-09 एनाउसमैन्ट आफ बेवर एण्ड ओ.टी.एस.स्कीम फांरमर हरको बैंक चण्डीगढ के पत्र क्रमांक एम/पी./वसुली/2007-08/25719 दिनांक 8.3.2008 नाबार्ड चण्डीगढ के सरकुलर पत्र एम.बी./पजाब/हरियाणा/8474/सी.पी.डी. ऋण माफी के अनुसार जिन कंर्जदार किसानो की जमीन 5 एकड से कम थी व डिफाल्टर थे उन का पुरा कर्जा माफ किया जाना था और जिन किसानो की जमीन पांच एकड से ज्यादा थी उन किसानो का 25 प्रतिशत कर्जा माफ किया जाना था मगर जो किसार बकाया 75 प्रतिशत राशि तिथि बन्द्द मे जमा करवाने का सरकुलर प्राप्त हुआ था जो आरोप के अनुसार जीन्द केन्द्रीय सहकारी बैंक के अन्तर्गत रधाना पैक्स मे कुल 4 बिक्री केन्द्र निडाना पडाना निडानी वा रधाना ओर इन बिक्री केन्द्रो के अन्तर्गत आठ गावं चाबरी निडाना, सिधवी खेडा ,निडानी रधाना ललित खेडा भैरो खेडो भैरो खेडा व पडाना आते है । जो पैक्स रधाना मे कर्ज माफी योजना के अनुसार 598 छोटे किसार एस.एफ.एम.टी. के 12 किसान व एम.टी.एग्री के पांच किसान कुल 615 छोटे किसान वा इसी तरह रिकार्ड के अनुसार 340 बडे किसान माफी की योजना मे आते है। 615 छोटे किसानो का कर्जा 19757272 रुपये बनता था तथा 340 बडे किसान जिनकी जमीन पाचं एकड से ज्यादा थी जिस को 25 प्रतिशत के हिसाब से 5171016 रुपये माफी बनती थी जो इस स्कीम के तहत छोटे किसानो ने अपना पुरा लाभ लिया तथा 62 बडे किसानो ने अपनी देय राशि का 75 प्रतिशत अदायगी बैंक मे जमा करा कर 25 प्रतिशत के हिसाब से 925181 रुपये का लाभ उठाया । जांच के दौरान जिन बडे किसानो ने इस योजना का लाभ उठाया उन की सुचि मलकियत जमीन का रिकार्ड सम्बन्धित किसान के एम.सी.एल./भूमि रजिस्ट्रर हद कर्जा लोन से मिलान किया गया जिसमे पाया गया कि निम्नलिखित 28 किसानो ने अपनी जमीन को पांच एकड से कम मलकियत दिखाकर 100 प्रतिशत माफी का लाभ उठाया । 1. महाबीर पुत्र फुलाराम वासी पडाना खाता नम्बर 14/46 के अनुसार 10 एकड जमीन का मालिक है । मगर भूमि रजिस्टर के पेज न० 8 की

क्रम सख्या 47 के अनुसार चार एकड का मालिक दिखा रखा है जो इस किसान ने दिनांक 27.3.2002 के अनुसार 41145 रुपये कर्ज लिये हुए है 2. सुमेर पुत्र बलदेवा वासी पडाना खाता नम्बर 14/81 जिसकी एम.सी.एल. के पेज न० 10 की क्रम सख्या 51 के अनुसार 6 एकड भूमि का मालिक है ।मगर भूमि रजिस्ट्रर के पेज न० 14 के अनुसार 4 एकड का मालिक दिखा दिया । इस किसान ने 27.3.2002 को 29250/- रुपये कर्जा लिया 3. दिपचन्द पुत्र देवी चन्द वासी पडाना खाता न० 14/183 जिसकी एम.सी.एल. के पेज न० 12 की क्रम संख्या 76 के अनुसार 6 एकड का मालिक है भूमि रजिस्ट्रर की पेज न० 18 की क्रम सख्या 118 के अनुसार तीन एकड भूमि का मालिक दिखा दिया इस किसान ने 24.5.2002 को 24580 रुपये कर्जा लिया हुआ था 4.अनिरुद पुत्र देवीदत वासी पडाना खाता न० 14/163 जिसकी एम.सी.एल. के पेज न० 18 के क्रम सख्या 183 के अनुसार 6 एकड का मालिक है मगर भूमि रजिस्ट्रर के पेज न० 31 के क्रम सख्या 222 के अनुसार 3 एकड का मालिक दिखा दिया इस किसान दिनांक 28.1.2000 को 65554 रुपये कर्जा लिया हुआ था । 5. पवन पुत्र सतबीर वासी पडाना खाता न० 14/198 जिसकी एम.सी.एल. के पेज न०19 के क्रम सख्या 191 के अनुसार 6एकड का मालिक है मगर भूमि रजिस्ट्रर के पेज न०34 के क्रम सख्या 230के अनुसार 4 एकड का मालिक दिखा दिया इस किसान ने दिनांक 28.5.2000 को 27970 रुपये कर्जा लिया हुआ था 6राजेश वासी पडाना खाता न० 14/204 जिसकी एम.सी.एल. के पेज न०19 के क्रम सख्या 199 के अनुसार 6एकड का मालिक है मगर भूमि रजिस्ट्रर के पेज न०34 के क्रम सख्या 238के अनुसार 3 एकड का मालिक दिखा दिया इस किसान ने दिनांक 17.6.2001को 20000रुपये कर्जा लिया हुआ है 7.रामनिवास पुत्र सुरजमल पडाना खाता न० 14/205 जिसकी एम.सी.एल. के पेज न०19 के क्रम सख्या 198 के अनुसार 6एकड का मालिक है मगर भूमि रजिस्ट्रर के पेज न०34 के क्रम सख्या 278के अनुसार 3 एकड का मालिक दिखा दिया इस किसान ने दिनांक 12.6.2001को 32114रुपये कर्जा लिया हुआ है 8.राजेन्द्र पुत्र नफे सिहं वासी पडाना खाता न० 14/206 जिसकी एम.सी.एल. के पेज न०19 के क्रम सख्या 201 के अनुसार 6एकड का मालिक है मगर भूमि रजिस्ट्रर के पेज न०36 के क्रम सख्या 240के अनुसार 3 एकड का मालिक दिखा दिया इस किसान ने दिनांक 18.12.2001को 27200रुपये कर्जा लिया हुआ है 9. राजकुमार पुत्र रामेश्वर वासी पडाना खाता न० 14/208 जिसकी एम.सी.एल. के पेज न०19 के क्रम सख्या 203 के अनुसार 6एकड का मालिक है मगर भूमि रजिस्ट्रर के पेज न०36 के क्रम सख्या 242के अनुसार 4 एकड का मालिक दिखा दिया इस किसान ने 22480रुपये कर्जा लिया हुआ है10.दलबीर पुत्र तारा चन्द वासी पडाना खाता न० 14/211 जिसकी एम.सी.एल. के पेज न०20 के क्रम सख्या 206 के अनुसार 6एकड का मालिक है मगर भूमि रजिस्ट्रर के पेज न०36 के क्रम सख्या 245के अनुसार 5 एकड का मालिक दिखा दिया इस किसान ने दिनांक 7.6.2001को 34640रुपये कर्जा लिया हुआ है11हरके राम पुत्र जग्गु राम वासी पडाना खाता न० 14/213 जिसकी एम.सी.एल. के पेज न०20 के क्रम सख्या 210 के अनुसार 6एकड का मालिक है मगर भूमि रजिस्ट्रर के पेज न०36 के क्रम सख्या 248के अनुसार 4 एकड का मालिक दिखा दिया इस किसान ने दिनांक 24.52002को 25020रुपये कर्जा लिया हुआ है 12. सुनिल पुत्र धर्मपाल वासी पडाना खाता न० 14/215 जिसकी एम.सी.एल. के पेज न०20 के क्रम सख्या 213 के अनुसार 6एकड का मालिक है मगर भूमि रजिस्ट्रर के पेज न०36 के क्रम सख्या 251के अनुसार 4 एकड का मालिक दिखा दिया इस किसान

ने दिनांक 22.6.2000को 37720रुपये कर्जा लिया हुआ है13अनिल पुत्र धर्मपाल वासी पडाना खाता न० 14/216 जिसकी एम.सी.एल. के पेज न०20 के क्रम सख्या 214 के अनुसार 6एकड का मालिक है मगर भूमि रजिस्ट्रर के पेज न०36 के क्रम सख्या 252के अनुसार 4 एकड का मालिक दिखा दिया इस किसान ने दिनांक 22.6.2000को 34694रुपये कर्जा लिया हुआ है 14.सुरेश पुत्र रामेश्वर वासी पडाना खाता न० 14/219 जिसकी एम.सी.एल. के पेज न०20 के क्रम सख्या 218 के अनुसार 6एकड का मालिक है मगर भूमि रजिस्ट्रर के पेज न०38 के क्रम सख्या 256के अनुसार 3 एकड का मालिक दिखा दिया इस किसान ने दिनांक 24.3.2000को 27600रुपये कर्जा लिया हुआ है 15. सत्यवान पुत्र बीरसिहं वासी पडाना खाता न० 14/226 जिसकी एम.सी.एल. के पेज न०21 के क्रम सख्या 235 के अनुसार 6एकड का मालिक है मगर भूमि रजिस्ट्रर के पेज न०40 के क्रम सख्या 273के अनुसार 3 एकड का मालिक दिखा दिया इस किसान ने दिनांक26.11.1999को 45130रुपये कर्जा लिया हुआ है 16.अनुप पुत्र बीर सिहं वासी पडाना खाता न० 14/225 जिसकी एम.सी.एल. के पेज न०21 के क्रम सख्या 236 के अनुसार 6एकड का मालिक है मगर भूमि रजिस्ट्रर के पेज न०40 के क्रम सख्या 274के अनुसार 3 एकड का मालिक दिखा दिया इस किसान ने दिनांक 25.5.2002को 24370रुपये कर्जा लिया हुआ है 17.रमेश पुत्र रामधन वासी पडाना खाता न० 14/230 जिसकी एम.सी.एल. के पेज न०22 के क्रम सख्या 246 के अनुसार 6एकड का मालिक है मगर भूमि रजिस्ट्रर के पेज न०44 के क्रम सख्या 295के अनुसार 2 एकड का मालिक दिखा दिया इस किसान ने दिनांक 19.11.1999को 12300रुपये कर्जा लिया हुआ है 18औमप्रकाश पुत्र फतेह सिहं वासी निडाना खाता न० 6/54 जिसकी एम.सी.एल. के पेज न०181 के क्रम सख्या 1 के अनुसार 5एकड भूमि का मालिक है मगर भूमि रजिस्ट्रर के पेज न०153 के क्रम सख्या 1के अनुसार 7 एकड का मालिक दिखा दिया इस किसान ने दिनांक 10.2.2004को 49732रुपये कर्जा लिया हुआ है 19. कली राम पुत्र हरद्वारी वासी निडाना खाता न० 8/37 जिसकी एम.सी.एल. के पेज न०93 के क्रम सख्या 10 के अनुसार 5एकड भूमि का मालिक है मगर भूमि रजिस्ट्रर के पेज न०47 के क्रम सख्या 10के अनुसार 8 एकड का मालिक दिखा दिया इस किसान ने दिनांक 4.4.2002को34947रुपये कर्जा लिया हुआ है   20. महाबीर पुत्र सुबे सिहं वासी निडाना खाता न० 8/124 जिसकी एम.सी.एल. के पेज न०95 के क्रम सख्या 30 के अनुसार 5एकड भूमि है मगर भूमि रजिस्ट्रर के पेज न०51 के क्रम सख्या 34के अनुसार 10 एकड का मालिक दिखा दिया इस किसान ने दिनांक 8.1.2002को 59250रुपये कर्जा लिया हुआ है 21. पाला राम पुत्र बारुराम वासी निडाना खाता न० 8/140 जिसकी एम.सी.एल. के पेज न०97 के क्रम सख्या 39 के अनुसार 4एकड भूमि है मगर भूमि रजिस्ट्रर के पेज न०53 के क्रम सख्या 49के अनुसार 7 एकड का मालिक दिखा दिया इस किसान ने दिनांक 7.7.2001को 52154रुपये कर्जा लिया हुआ है 22. हवा सिहं पुत्र लाल जी वासी रधाना खाता न०102/72 जिसकी एम.सी.एल. के पेज न०267 के क्रम सख्या 102 के अनुसार 5एकड भूमि है मगर भूमि रजिस्ट्रर के पेज न०291 के क्रम सख्या 104के अनुसार 6 एकड का मालिक दिखा दिया इस किसान ने दिनांक 22.6.2004को 38592रुपये कर्जा लिया हुआ है 23. जिले पुत्र दया सिहं वासी सिधंवी खेडा खाता न०2/185 जिसकी एम.सी.एल. के पेज न०371 के क्रम सख्या 203 के अनुसार 5एकड भूमि है मगर भूमि रजिस्ट्रर के पेज न०255 के क्रम सख्या 206के अनुसार 6 एकड का मालिक दिखा दिया इस किसान ने दिनांक 30.1.2004को 28140रुपये कर्जा लिया हुआ है 24.

जगदीश पुत्र दानी राम वासी रधाना खाता न०2/209 जिसकी एम.सी.एल. के पेज न०2 के क्रम सख्या 290 के अनुसार 5एकड भूमि है मगर भूमि रजिस्ट्रर के पेज न०195 के क्रम सख्या 253के अनुसार 6 एकड का मालिक दिखा दिया इस किसान ने दिनांक 30.1.2004को 28140रुपये कर्जा लिया हुआ है 25. पवन पुत्र रामकिशन वासी रधाना खाता न०2/185 जिसकी एम.सी.एल. के पेज न०25के क्रम सख्या 445 के अनुसार 5एकड भूमि है मगर भूमि रजिस्ट्रर के पेज न०89 के क्रम सख्या 409के अनुसार 7 एकड का मालिक दिखा दिया इस किसान ने दिनांक 17.3.1999को 35114रुपये कर्जा लिया हुआ है इस प्रकार 25 किसानो ने 870704 रुपये का कर्ज बडे किसान के रुप मे लिया हुआ था क्योकि उपरोक्त सभी किसानो की जमीन भूमि रजिस्ट्रर के अनुसार 5 एकड से ज्यादा होनी पाई गई है भारत सरकार द्वारा कर्ज माफी योजना के अनुसार उक्त किसानो का 25 प्रतिशत योजना मे आते है बाकि 75 प्रतिशत 653028 रुपये उक्त किसानो से देय तिथि के अन्दर जमा करवाना था और 25 प्रतिशत राशि 217676 रुपये माफी की जद मे आते थे और पैक्स के निम्न . कर्मचारी उक्त 25 किसानो को छोटे किसानो की सूचि मे डालकर उनका शत प्रतिशत कर्जा माफ करके कुल 653028 रुपये का सरकार को नुकसान पहुंचाया है जबकि उक्त किसानो को सरकार की स्कीम के अनुसार 217676 रुपये का लाभ मिलना था इसके अलावा तीन किसान जिनमे महाबीर पुत्र रामचन्द्र वासी पडाना खाता न० 14/54 ऋण राहत भूमि मे सीरियल न० 37 पर है कि पुरी राशि माफ की गई जबकि यह किसान नियमानुसार ऋण राहत योजना का पात्र ही नही बनता क्योकि यह किसान डिफाल्टर सूचि मे नही है । इस किसान ने दिनांक 29.6.1998 को 23080 रुपये का कर्जा लिया हुआ है 2. इसी प्रकार सुरेन्द्र पुत्र हुकम वासी सिधंवी खेडा ने एम.सी.एल. रजिस्ट्रर के क्रंम संख्या 309 खाता न०5/10व 5/18 है । इस किसान ने 21691 रुपये कर्ज लिया हुआ है और इसने 19.12.2006 को 20000 रुपये वा 1490 रुपये ब्याज 19.5.2007 को जमा करा दिये और दुबारा 21.5.2007 को 20000 रुपये कर्ज ले लिया जिसकी ब्याज राशि 1691 रुपये कुल 21691 रुपये बनती है । जो काफी का पात्र नही है । 3. बीरु पुत्र लहरी वासी नडानी जिसका खाता न० 752 कर्जा माफी सुचि के पेज सख्या 79 क्रमं सख्या 90 की 3 एकड भूमि दिखाई है जबकि भूमि रजिस्ट्र के अनुसार इस किसान के नाम कोई जमीन नही है जो इस किसान को बिना भूमि के होते हुए 24650 रुपये देकर वा माफी योजना के तहत किसान को पुरा लाभ पहुंचाया । उपरोक्त तीनो किसानो की कुल 69421 रुपये बनती है ये तीनो किसान कर्ज माफी योजना का लाभ दिया और सरकार को 69421 रुपये की हानि पहुंचाई । उक्त 28 किसान के भूमि रजिस्ट्र वा एम.सी.एल. रजिस्ट्र (माफी योजना की सुचि) तैयार करते समय रधाना पैक्स के कर्मचारी श्री रामनिवास प्रबन्धक , महाबीर सिहं ,सहायक प्रबन्धक , दलबीर सिहं शाखा प्रबन्धक , सतपाल सिहं निरीक्षक आडीट, सतीश कुमार सैल्जमैन निडाना , पवन कुमार सैल्ज मैन बिक्री केन्द्र रधाना वा सत्यवान सैल्जमैन बिक्री केन्द्र पडाना निडानी ने कर्ज माफी की सुचि तैयार करते समय 25 बडे किसानो को छोटे किसानो की सुचि मे डालकर व तीन किसानो को भारत सरकार की कर्ज माफी की योजना के तहत न आने पर भी उनको 100 प्रतिशत लाभ दिया गया । इस प्रकार पैक्स रधाना के कर्मचारियो ने कर्ज माफी योजना के नियमो की उल्लंना करते हुए वा अपनी डियूटी को निष्ठा व ईमानदारी से न करते हुए अपने पद का दुरुपयोग करके सरकार को 653028+96421 कुल 722449 रुपये की हानि पहुंचा कर अपराध जैर धारा 420,467,468,471

वा 120बी आई.पी.सी. वा 13(1) डी.पी.सी. एक्ट का अपराध किया है जिस पर अन्तिम रिपोर्ट तैयार करके निरीक्षक महाबीर सिहं ने एस.पी. राज्य चौकसी ब्यूरो हिसार वा महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकुला के पत्र क्रमांक18284 / रा.चौ.ब्यूरो (ह) पंचकुला दिनांक 24.7.2013 के अनुसार मुख्य सचिव चौकसी विभाग हरियाणा चण्डीगढ को भेजी गई थी जो अब मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 65/24/2011-5 चौ० 1. दिनांक 13.9.2013 के अनुसार अन्तिम रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पचंकुला के पत्र क्रमांक 23509/आई-3/रा.चौ.ब्यूरो(ह) पंचकुला दिनांक 18.9.2013 प्राप्त हुई है जो हस्ब आदेश एस.पी. राज्य चौकसी ब्यूरो हिसार जांच रिपोर्ट न० 3 दिनांक 16.11.2011 जीन्द पर मुकदमा उपरोक्त बर खिलाफ श्री रामनिवास प्रबन्धक,महाबीर सिहं सहायक प्रबन्धक ,दलबीर सिहं शाखा प्रबन्धक ,सतपाल सिहं निरीक्षक ओडिट, सतीश कुमार सैल्जमैन निडाना ,पवन कुमार सैल्जमैन बिक्री केन्द्र रधाना वा सत्यवान सैल्जमैन बिक्री केन्द्र पडाना , निडानी के खिलाफ मुकदमा हजा जैर धारा420,467,468,471 वा 120बी आई.पी.सी. वा 13(1) डी.पी.सी. एक्ट दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर नकुलात एफ.आई.आर. बतौर स्पैशल रिपोर्ट बदस्त EHC बलजीत सिहं1495/RTK निज्द ईलाका मैजिस्ट्रैट व एस.पी. जीन्द को भेजी जा रही है नकल मिशल पुलिस मय आमदा रिकार्ड सीरियल न० 1 से 12 तक आगामी तफतीश हेतू हस्ब आदेश एस.पी. साहब राज्य चौकसी ब्यूरो हिसार हवाले श्री ज्ञान सिहं निरीक्षक की जा रही है एस.डी. ज्ञान सिहं निरीक्षक एस.एच.ओ./ निरीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो (ह) हिसार मण्डल हिसार ।

Action Taken (Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at item No.2:

(i) Registered the case and took up the investigation **OR**

(ii) Directed (Name of the I.O.): Gian Singh **Rank: Inspector**

No.: 25/HAP **to take up the investigation, OR**

(iii) Refused investigation due to: **OR**

(iv) Transferred to P.S.(name):

On point of jurisdiction: **District:**

F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost:

R.O.A.C.:

14.

Signature/Thumb Impression
Of The Complainant/Informant:

Signature of Officer
Name Gian Singh
Rank Inspector. HAP/25

15 Date and Time of dispatch to the court: